/159551/2023

ई पत्रावली 18568

संख्याः 658 /XII-3/2023/83(04)/2014

प्रेषक,

मायावती ढकरियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग देहरादूनः: दिनांकः 06 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2023

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड की RIDF–XXIX योजनान्तर्गत 16 नई ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1712/निर्माण–07/बजट/2023–24, दिनांक 14.09.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड की RIDF–XXIX योजनान्तर्गत 16 नई ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं के आगणनों की विभागीय टी0ए0सी0 से अनुमोदित धनराशि रू0 3240.19 लाख (नाबार्ड द्वारा ऋण हेतु उपयुक्त पायी गयी धनराशि रू0 2916.11 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में संलग्नक के कॉलम 2 में उल्लिखित योजनावार कॉलम 8 में उल्लिखित विवरणवार मोबिलाइजेशन एडवांश हेतु कुल रु0 8,74,83,300/– (रूपये आठ करोड़ चौहत्तर लाख तिरासी हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने/नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दि0 26 जुलाई, 2016 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।

(ii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, शासनादेश संख्या–103/XXVII(7)/2007 टी0सी0–1, दिनांक 21.07.2022, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) नियमानुसार एवं वास्तविकता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जाय, कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही धनराशि व्यय की जाय। कार्य की लागत से अधिक व्यय सृजित किये जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

(iv) निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

(v) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

(vi) आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि सम्बन्धित शाखाओं को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(vii) आहरण वितरण अधिकारीं तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

/159551/2023

(viii) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उन कार्यो में ही व्यय किया जाय, जिन योजनाओं की वित्तीय/भौतिक प्रगति अच्छी है। अनारम्भ तथा कम प्रगति वाले कार्यो पर कदापि खर्च न किया जाय।

(ix) आंगणनों का पुनः परीक्षण करते हुये उसकी सीमा तक ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करे। आगणित धनराशि से अधिक व्यय सृजित किये जाने व आगणनों को पुनर्गठित किये जाना गम्भीर लापरवाही मानी जाएगी और अनियमित्ता के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। भूमि मुआवजें का विभाग द्वारा वास्तविक आंकलन करते हुए राजस्व विभाग से सत्यापित कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(x) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

(xi) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/ XXX–1–12(25)2011, दि0–08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

(xii) वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, –103–ग्राम्य विकास–98 01–ग्रामीण सड़कें व ड्रेनेज विभाग में निर्माण कार्य–53–वृहद निर्माण के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3. यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 संख्या– 157196/2023, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में दी गयी सहमति के कम में जारी किये जा रहे है।

Signed by Mayawati
Dhakriyal
Date: 06-10-2023 13:29:45

(मायावती ढकरियाल)
सचिव।

संख्याः 658 (1)/XII-3/2023/83(04)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (ए एण्ड ई) कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखकार, (लेखा परीक्षा), कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. सम्बन्धित समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. सम्बन्धित समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0–
(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या– 658/XII–3/2023/83(04)/2014, दिनांक 06 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर 2023 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	प्रखण्ड का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	नाबार्ड द्वारा ऋण हेतु स्वीकृत धनराशि	सर्वेक्षण एवं DPR गठन हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि (मोबिलाइजेशन एडवांश 1)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकासखण्ड बीरोंखल में डुमेला तल्ला मोटर मार्ग से भरोली तक सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(स्टेज–1)	कोटद्वार	3.40	251.00	225.90	3.000	67.77
2	विकासखण्ड वीरोंखाल में इण्टर मीडिएट कालेज ललितपुर हेतु सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	कोटद्वार	1.30	149.35	134.41	2.25	40.323
3	विकासखण्ड वीरोंखाल में द ाणियालखाल–बडियाणा से ग्राम डुवरू तक सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	कोटद्वार	2.025	175.38	157.84	3.00	47.352
4	विकासखण्ड बीरोंखाल में भौराड़ से ग्राम कोटली तक सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण।(स्टेज–1)	कोटद्वार	1.90	150.50	135.45	2.25	40.635
5	विकासखण्ड जहरीखाल के अन्तर्गत सतपुली कांडाखाल मार्ग से ग्राम सगवाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज–1)	कोटद्वार	3.375	307.20	276.48	3.75	82.944
6	जनपद चम्पावत के वि0ख0 चम्पावत के मुख्य सड़क मार्ग चूका से तोक चूका तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	चम्पावत	1.175	72.34	65.10	1.88	19.53
7	जनपद चम्पावत के वि0ख0 चम्पावत के अन्तर्गत ग्राम कोट अगोड़ी के ग्राम चन्थोला में जू0हा0स्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	चम्पावत	2.225	186.74	168.060	2.25	50.418
8	जनपद चम्पावत के वि0ख0 चम्पावत के चल्थी नौलापानी रोड से झालाकुडी नारायन सिंह जी के घर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(स्टेज–1)	चम्पावत	2.25	169.23	152.30	3.75	45.69

9	जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत ग्राम वारमों से ग्राम टुण्डी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण।(स्टेज–1)	पिथौरागढ	3.55	260.72	234.64	0.00	70.392
10	जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 मूनाकोट के अन्तर्गत मडमानले से गलाल अनु0जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	पिथौरागढ	1.600	186.15	167.53	1.50	50.259
11	जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 मूनाकोट के अन्तर्गत ग्राम नौगांव से चौमू मंदिर होते हुए कमलेश्वर तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	पिथौरागढ	2.00	241.42	217.27	3.00	65.181
12	जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत ग्राम सभा ओझा मल्ला में नई बस्ती से कफरौली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	डीडीहाट	1.35	189.70	170.73	1.50	51.219
13	जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 डीडीहाट के अन्तर्गत भातड–कुकरौली मोटर मार्ग में जू0हा0 स्कूल से टुनेरा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(स्टेज–1)	डीडीहाट	2.684	240.86	216.77	4.50	65.031
14	जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 डीडीहाट के अन्तर्गत थल–मुवानी मोटर मार्ग के डिगौटी पुल से डिगौटी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	डीडीहाट	2.75	438.74	394.86	4.50	118.458
15	विधान सभा क्षेत्र जसपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम दादूवाला में हीडीम्बा देवी से दादूवाला सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 1.50 किमी0) का निर्माण किया जायेगा। (घोषणा संख्या–693/2021) (अपग्रेडेशन)	उद्यमसिंहनगर	1.585	135.48	121.93	4.50	36.579
16	जनपद उधमसिंहनगर के वि0ख0 जसपुर के अन्तर्गत ग्राम देवीपुरा से मुरलीवाला तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।(अपग्रेडेशन)	उद्यमसिंहनगर	1.063	85.38	76.84	0.72	23.052
	योगः–		34.232	3240.19	2916.11	42.35	874.833

(रूपये आठ करोड़ चौहत्तर लाख तिरासी हजार तीन सौ मात्र)

Signed by Rajeev Tiwary
Date: 06-10-2023 16:19:43
(राजीव तिवारी)
अनु सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, RES(S039)
HOD-Chief Engineer RWD(2231)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -019

आवंटन आई डी-S23100190003
आवंटन पत्र दिनांक-06-OCT-2023

लेखा शीर्षक	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	00--	
	103-ग्राम्य विकास	98-नाबार्ड पोषित	
	01-ग्रामीण सड़कें व ड्रेनेज विभाग में निर्माण कार्य (4515-00-800-05 से स्थानान्तरित)		Voted

4	5	1	5	0	0	1	0	3	9	8	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	200000000	87483300	0	287483300
योग	200000000	87483300	0	287483300

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.8,74,83,300 (Rupees Eight Crores Seventy Four Lacs Eighty Three Thousand Three Hundred Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER